



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 अग्रहायण 1947 (श10)
(सं0 पटना 1743) पटना, सोमवार, 1 दिसम्बर 2025

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर 2025

सं० 02/रेगु०-03-900-16/2025-1807—बिहार में लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर में पारंपरिक रूप से गन्ना की खेती की जाती है। वर्तमान में गन्ना से चीनी के उत्पादन के साथ-साथ इथनॉल एवं विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है।

2. राज्य में वर्तमान में कुल-10 चीनी मिलें कार्यरत हैं जबकि निजी, ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (बी. आई.सी.) ग्रुप एवं सरकारी क्षेत्रों को मिलाकर कुल-09 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं।

3. गन्ना उद्योग विभाग का प्रोत्साहन पैकेज-2014, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 एवं इथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के माध्यम से इस प्रक्षेत्र में प्रोत्साहन का प्रयास किया गया परंतु इसके अपेक्षित परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं।

4. राज्य में वर्तमान गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने एवं नये किसानों को गन्ना की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि की जाय। इस क्रम में राज्य में बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार तथा नये चीनी मिलों की स्थापना की कार्यवाई अपेक्षित है।

5. राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त के आलोक में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

I	मुख्य सचिव, बिहार	—	अध्यक्ष
II	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
III	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	—	सदस्य
IV	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	—	सदस्य
V	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग	—	सदस्य सचिव
VI	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	—	सदस्य
VII	इसके अतिरिक्त इस प्रक्षेत्र के राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को इस समिति में आमंत्रित/मनोनीत किया जा सकेगा।		

6. समिति द्वारा राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना तैयार किया जायेगा।

7. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन दिनांक-25.11.2025 को मद संख्या-10 पर प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1743-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>